C-10

⇒ निःशक्त जनों के लिए नई नीति - 2012 (New policies for persons with Disability - 2012)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम - 2012 विकलांग लोगों के सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वास्थ्य सहित उनके विभिन्न अधिकारों की संरक्षण के लिए प्रावधानों का उपाय करता है:—

1) इस अधिनियम में यह सुनिश्चित किया जाता है कि शैक्षिक संस्थान निःशक्त छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित सुविधा प्रदान करें।

ii) शैक्षिक संस्थान विशिष्ट अधिगम असमर्थ बच्चों की पहचान शीघ्र करें और उपयुक्त शैक्षणिक एवं अन्य उपायों से ऐसे बच्चों को सक्षम बनायें।

iii) निःशुल्क छात्रों की स्कूली गतिविधियों में भागीदारी तथा शैक्षणिक प्रगति की निगरानी भी की जाए।

iv) विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम-2009 जिसे मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है।
⇒ इस अधिनियम में भी 6-14 वर्ष तक की बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की वकालत करता है, लेकिन विकलांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।

v) स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि विकलांगों को 18 वर्ष की आयु तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है।

Scanned with CamScanner

VI) जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Life, Liberty and Freedom) :-

भारत का संविधान भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को समानता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। विकलांग जनों के लिए उनके जीवन के अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सरकार सुनिश्चित करेगी। किसी भी व्यक्ति को उसकी निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

VII) समुदाय में रहने का अधिकार :-

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2012 में स्पष्ट है कि विकलांग लोगों को अपने-अपने समुदाय में रहने का अधिकार होगा। उनकी असमर्थता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामुदायिक सेवाओं और विकलांग लोगों के लिए समान आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आवासीय सुविधा को सुनिश्चित किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

C-10

III Bullet-***

असमता से युक्त व्यक्तियों के लिए नई नीतियाँ - 2012

नि:शक्त जनों के लिए नई नीति-2012

(New policies for persons with disability-2012):-

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम - 2012 विकलांग लोगों के सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वास्थ्य समेत उनके विभिन्न अधिकारों की संरक्षण के लिए प्रावधानों का उपाय करता है।

यह अधिकार भारतवर्ष के विकलांग नागरिकों के अधिकार को नये रूप में व्याख्यायित करता है। इस अधिनियम के अनुसार सरकार और स्थानीय प्राधिकरण विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में अनेक बिन्दुओं पर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं अथवा उनके हितों का संरक्षण करते हैं।

असमता से युक्त व्यक्तियों के लिए नई नीतियाँ-2012 का ~~[illegible]~~ सुनिश्चित अधिकारों का प्रावधान:-

i) विकलांगों के अन्तर्निहित गरिमा का सम्मान व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता:-

ii) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी:-

iii) अवसर की समानता:-

iv) मानव विविधता का सम्मान:-

v) उपयोगिता:-

vi) पुरुष और महिला के बीच समानता:-

vii) विकलांग बच्चों की उभरती क्षमता का सम्मान:-

Scanned with CamScanner

विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम 1995 (Persons with Disabilities Act 1995)

(4) रोजगार के अवसर प्रदान करना (providing opportunities of employment) :-

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों का प्रमुख दायित्व है कि शारीरिक रूप से अक्षम छात्र एवं छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध तथा उनकी स्थापना (placement) की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिन क्षेत्रों में अक्षम छात्रों को रोजगार मिल सकता हो उन क्षेत्रों को सरकार द्वारा विकास किया जाना चाहिए।

(5) आरक्षण व्यवस्था (Reservation System) :-

सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए आरक्षण व्यवस्था होना चाहिए। वर्तमान समय में सरकार द्वारा नौकरियों में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के आरक्षण का प्रतिशत निश्चित कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत 4% की व्यवस्था की गयी है।

(6) यात्रा सम्बन्धी सुविधाएँ (Travelling Related Facilities) :-

यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं में इन छात्रों के लिए किराये में छूट का प्रावधान होना चाहिए।

(7) अक्षमता रोकने के लिए शोध (Research for disability prevention) :-

इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के तथ्य को स्वीकार किया जाता है। इन शोधकार्यों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों की शारीरिक अक्षमताओं को रोकना तथा उन्हें दूर करना।

जैसे - बुद्धि से सम्बन्धित अक्षमता को निदानित A को शैशव बाल्याकाल में ही निदान किया जाना

Scanned with CamScanner

(8) उपकरणों के निर्माण की व्यवस्था (Arrangement of Construction of Instruments):-

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों का यह भी दायित्व होगा कि शारीरिक अक्षमता से सम्बन्धित उपकरणों के निर्माण की व्यवस्था की जाए, जिससे कम दर पर अथवा निःशुल्क रूप में अक्षम छात्रों को इन उपकरणों को उपलब्ध कराया जा सके।

(9) स्वास्थ्य सुविधाएँ (Health Facilities):-

शारीरिक अक्षमता से युक्त छात्रों को विद्यालय में चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(10) उपकरण (Instrument):-

शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए उनकी अक्षमता से सम्बन्धित उपकरण निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे - पैरों से न चलने वाले छात्रों को व्हील चेयर एवं श्रवण अक्षमता से युक्त छात्रों के लिए श्रवण यंत्र उपलब्ध कराना आदि।

Scanned with CamScanner